न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

प्रकरण संख्या/10/20218 तारीख प्रवेश 18.06.2018 तारीख निर्णय 21.12.2021

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का अलेई

2018
00012

बनाम

1.श्री पूर्णमल पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील राजगढ

2.श्री सुरेश चन्द पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील राजगढ

प्रकरण :अन्तर्गत 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णय:–

आज पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अलेई द्वारा सम्वत् 2075 मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम मुरलीपुरा के आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.35 है0 किस्म गै.मु. रास्ता पर श्री पूर्णमल,श्री सुरेशचन्द पि0 मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी मुरलीपुरा द्वारा पुख्ता कमरे व मिट्टी की डोल बनाकर रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया है। रिपोर्ट दर्ज की जाकर अतिक्रमियों को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस की विधिवत् तामिल होकर प्राप्त हुई । अतिक्रमियान द्वारा नोटिस का जवाब पेश कर नोटिस कार्यवाही को खारिज करने का निवेदन किया गया । अतिक्रमियों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाने के पश्चात् दिनांक 23.7.2020 को पटवारी एवं आई.एल.आर. की संयुक्त टीम द्वारा जांच करने पर अतिक्रमण की पुष्टि की गई है।

पत्रावली का अवलोकन एवं रिकार्ड, जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मुरलीपुरा के आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.35 है0 किस्म गै.मु.रास्ता मे से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पुख्ता कमरे निर्माण एवं मिट्टी की डोल से अतिक्रमण होना पाया जाता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

करते हुये रास्ते जैसी सार्वजनिक भूमियों पर किये गये अतिक्रमण से अतिक्रमियों को बेदखल किया जाना उचित है। अतः आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी पूर्णमल , सुरेश चन्द पि० मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर को ग्राम मुरलीपुरा के आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.35 है० किस्म गै.मु.रास्ता मे से 0.03 रकबे पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किया जावे साथ ही शरह लगान 1.05/- रूपये का 50 गुणा 53/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है।पटवारी हल्का को अहकाम जारी हो की अतिक्रमियों को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली का घटना बही मे इन्द्राज कर बेदखली रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करे तथा आरोपित शास्ति की वसूली कर राशि जमा राजकोष करावें। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को कायमी हेतु लिखा जावे निर्णय पालना हेतु इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2021को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 24 पर रु. 53/-
राशि कायम की गयी।
ह. रा. लेखाकार